वर्ष 4, अंक 85 रु. 1/-

राष्ट्र महिला

अक्टूबर 2006 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

निजी एवं सरकारी संस्थानों द्वारा कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए पालना-गृहों तथा दिवस देखभाल केन्द्रों की अनिवार्य स्थापना करने का कदम उठाने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सराहना का पात्र है। यह निर्णय उन महिलाओं के लिए अनेक प्रकार से सहायक होगा जो पूरी योग्यता रखते हुए भी किसी नौकरी-पेशे पर नहीं जा पाती और घर पर रहने को इसलिए मजबूर हैं कि उनके परिवार तथा बच्चों की देखभाल के लिए किसी समर्थन प्रणाली की व्यवस्था नहीं है।

घर तथा बच्चों की देखभाल के साथ-साथ कोई काम-काज करना परिवार में तनाव उत्पन्न करता है जिसका परिणाम यह होता है कि महिलाएं न तो अपने परिवार के प्रति और न ही काम के प्रति न्याय कर पाती हैं।

चर्चा में — कामकाजी माताओं के लिए आशा की किरण

फलस्वरूप, अनेक महिलाएं कम क्षमता वाले परिवर्तनीय काम अपना लेती हैं जो उनकी योग्यता से मेल नहीं खाते।

बाद में, जब महिलाएं अपने पारिवारिक उत्तरदायित्व से अपेक्षाकृत स्वतंत्र हो जाती हैं, उनके लिए कोई नियमित कामकाज लेना कठिन और कभी-कभी मनोबल गिराने वाला बन जाता है क्योंकि तब तक उनकी साथी महिलाएं काफी ऊँचे पदों तक पहुंच चुकी होती हैं।

इसलिए, परिवार तथा कामकाज के बीच की खाई पाटने वाला प्रस्तावित विधेयक महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक सही कदम है। इस विधेयक से कामकाजी माताओं के जीवन की गुणवत्ता में निश्चित रूप से सुधार आयेगा।

महिलाओं के प्रति अपराधों में दिल्ली सबसे ऊपर

दिल्ली महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित होने का अपना अलग स्थान लगातार बनाए हुए है। यहां महिलाओं के प्रति अपराधों की सर्वाधिक 27.6 प्रतिशत दर दर्ज की गयी है। राष्ट्रीय औसत 14.1 प्रतिशत है।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की रिपोर्ट में दिए गये आंकड़ों में बलात्कार, दहेज मृत्यु, छेड़छाड़ और सगोत्र व्याभिचार के मामले शामिल हैं। दिल्ली के बाद आन्ध्र प्रदेश का नम्बर आता है जहां ऐसे अपराधों की दर 26.1 प्रतिशत है।

रिपोर्ट के अनुसार, देश के 35 बड़े शहरों में, जहां की जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक है, बलात्कार के कुल 1,693 मामलों में दिल्ली में घटे मामलों की संख्या 562 अर्थात् 33.2 प्रतिशत है।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि महिलाओं को अपहरण करने और भगा ले जाने के कुल 2,409 मामलों में दिल्ली की संख्या 900 अर्थात 37.4 प्रतिशत है।

बच्चों के प्रति अपराधों में भी दिल्ली सबसे आगे है जहां 1.4 प्रतिशत राष्ट्रीय औसत की तुलना में 6.5 प्रतिशत ऐसे मामले घटित हुए।

रिपोर्ट दर्शाती है कि वर्ष 2005 के दौरान प्रति 17 सेकिंड एक भारतीय दंड संहिता का अपराध हुआ। महिलाओं के प्रति हर तीन मिनट एक अपराध हुआ, हर 77 मिनट एक दहेज मृत्यु हुई, हर 29 मिनट एक बलात्कार हुआ, हर 9 मिनट पति अथवा उसके रिश्तेदारों द्वारा उत्पीड़न हुआ, हर 15 मिनट छेड़छाड़ का मामला हुआ और हर 53 मिनट यौन उत्पीड़न का मामला हुआ।

बच्चों के प्रमाण-पत्रों पर माँ का नाम

दिल्ली के महिला संगठनों द्वारा 10 वर्ष पूर्व उठाये गये मुद्दे पर, अब जाकर बच्चों के शिक्षा संबंधी दस्तावेजों पर माँ का नाम लिखा जायेगा। अब तक, इन कागजातों में केवल पिता का नाम जाता था।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के अंतर्गत आने वाले तकनीकी शिक्षा संस्थानों को छोड़कर, सरकार द्वार चलाए जा रहे सभी शिक्षा संस्थानों के दाखिला फार्मों में माँ के नाम का एक कॉलम भरना होगा और प्रमाण-पत्रों तथा डिग्रियों पर भी एक अलग कॉलम में माँ का नाम लिखा जायेगा।

कई केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा भी ये आदेश जारी कर दिए गये हैं। किन्तु जहां तक राज्यों का प्रश्न है, केवल हरियाणा, मध्य प्रदेश और असम द्वारा ये आदेश जारी किए गये हैं।

अ-निवासी भारतीय विवाहों पर कार्यशाला

अ-निवासी भारतीयों के विवाहों से संबंधित समस्याओं पर एक कार्यशाला का आयोजन समुद्रपार भारतीय कार्य मंत्रालय एवं राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा संयुक्त रूप से तिरुवनंतपुरम के महिला अध्ययन केन्द्र में किया गया।

कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए, केन्द्र सरकार के समुद्र पार भारतीय कार्य मंत्री श्री वयालार रवि ने कहा कि विदेशों में रह रहे भारतीयों के साथ रिश्ता जोड़ने से पूर्व सावधानियां बरतने के मामले में उनके मंत्रालय ने युवा महिलाओं के लिए एक अभियान चलाया है।

देशों के बीच और अंदर, महिलाएं प्रवास प्रक्रिया का महत्वपूर्व अंग हैं और इसलिए राज्यों को विवाह एवं जन्म का पंजीकरण करने के निदेश दिए जायेंगे।

अनेक शिकायतों के आधार पर, महिला संबंधित कानूनों तथा भारतीय पासपोर्ट अधिनियम में संशोधन करने की सिफारिश की गयी है।

उन्होंने कहा कि "शिकायतें और ब्यौरा प्राप्त करने के प्रयोजन से मंत्रालय ने यूरोपीय देशों में अनेक कार्यालय खोले हैं। प्रत्येक भारतीय दूतावास में एक महिला कक्ष होगा।"

जबकि प्रवासी महिलाओं की संख्या विगत वर्षों के दौरान बहुत बढ़ गयी है, उनसे संबंधित समस्याएं हाल ही में सामने आयी हैं।

महिलाएं बहुधा आश्रितों अथवा पत्नियों के रूप में प्रवास करती हैं। मंत्री जी ने कहा कि महिला होने के नाते वे "भेदभाव, वर्जना, कष्ट और कदाचार" की शोषणप्राय हैं।

विदेशों में भारतीय महिला पीड़ितों को न्याय मिलना इसलिए सीमित हो जाता है कि वहां भारतीय कानून लागू न होकर उसी देश विशेष का अधिक जटिल कानून लागू होता है।

अ-निवासी भारतीयों के विवाह, तलाकों, परित्याग और उत्सादन जैसे मुद्दों से निबटने के लिए 1990 में एक अंतर्राष्ट्रीय पक्षपोषण अभियान चलाया गया था। इसके परिणामस्वरूप, महिलाओं से संबंधित मुद्दों से निबटने के लिए, 'अंतर्राष्ट्रीय निजी कानून पर हेग सम्मेलन' के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का प्रादुर्भाव हुआ। एक महीने के भीतर, भारत इस संगठन का सदस्य बन जायेगा।

स्वास्थ्य मंत्री श्री पी.के. श्रीमथी ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि अ-निवासी भारतीयों के विवाहों से संबंधित समस्याएं एक सामाजिक मुद्दा है जिसमें समस्त समाज को आगे आना चाहिए।

उन्होंने कहा "ऐसे पीड़ितों के लिए समाज कल्याण विभाग 5 करोड़ रु॰ की लागत से पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना करेगा।"

इस अवसर पर बोलते हुए, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा डा॰ गिरिजा व्यास ने कहा कि आयोग क्षेत्रीय कार्यशालाएं आयोजित कर रहा है जिसके बाद वह अ-निवासी भारतीयों से विवाहित महिलाओं का उत्पीड़न रोकने की दृष्टि से केन्द्र को नये कानून बनाने संबंधी सुझाव देगा। उन्होंने कहा कि जागरुकता अभियान एवं उचित कानूनी क्रियान्वयन समय की मांग है।

उद्घाटन सत्र में, बायें से सुश्री पी.के. श्रीमथी, श्री वयालार रवि, डा॰ गिरिजा व्यास

डा॰ गिरिजा व्यास कार्यशाला में आयोग के अन्य सदस्यों के साथ। बायें से यास्मीन अब्रार, मंजु एस॰ हेम्ब्रोम, निर्मला वेंकटेश

सदस्यों के दौरे

- सदस्या नीवा कंवर महिला पंचायत सदस्यों की समस्याओं पर विचार करने और महिलाओं का सशक्तिकरण कर सकने वाले संस्थागत व्यवस्था-तंत्रों पर चर्चा करने के लिए आयोजित कार्यशाला 'पंचायत महिला शक्ति अभियान' में भाग लेने इम्फाल गयीं।

सदस्या नीवा कंवर पंचायत राज कार्यक्रम में। श्री मणि शंकर अय्यर उनकी बायीं ओर।

- सदस्या यास्मीन अब्रार ने जयपुर जेल तथा वहां के परिसर एवं बैरकों का निरीक्षण किया। वह बंदियों को दी जाने वाली सुविधाओं से संतुष्ट थीं। बाद में, उन्होंने एस॰एम॰एस॰ अस्पताल का दौरा किया और वहां की दशा संतोषजनक पायी।

  सुश्री अब्रार ने सवाई माधोपुर में जनरल अस्पताल का दौरा भी किया और डॉक्टरों, नर्सों, आम स्टॉफ, वार्ड लड़के और लड़कियों के साथ बातचीत की। उन्होंने पाया कि परिसर में सफाई नहीं है। वार्डों में कूलर तथा हवा-निकासी पंखे भी नहीं थे और बीमारों के लिए चादरें उपलब्ध नहीं थीं। उन्होंने अस्पताल के अधिकारियों से इन पहलुओं को देखने और परिसर में सफाई रखने को कहा।

  बाद में, वह सवाई माधोपुर जेल देखने गयीं और पाया कि बंदियों की संख्या क्षमता से अधिक है। उन्होंने सुझाव दिया कि बैरकों की संख्या बढ़ाई जाये, जेल अस्पताल में सफाई रखने की उचित व्यवस्था की जाये और बंदियों के पुनर्वास के प्रयोजन से उन्हें व्यवसायिक शिक्षा प्रदान की जाये।

  सुश्री अब्रार ने स्त्री आधार केन्द्र द्वारा मुम्बई में 'महिलाएं और प्राकृतिक विपदाएं' विषय पर आयोजित दो-दिवसीय राष्ट्रीय परामर्श में भाग लिया। बाद में उन्होंने 'महाराष्ट्र की महिलाओं के बीच कानूनी जागरुकता प्रसार' विषय पर एक सेमिनार में भाग लिया।

  सुश्री अब्रार कोटा भी गयीं और अध्यापकों द्वारा लड़कियों को तंग किए जाने के मामले पर एस॰पी॰ तथा एस॰एस॰पी॰ के साथ चर्चा की। तत्पश्चात्, उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग के 'चलो गांव की ओर' कार्यक्रम तथा महिला उद्धार की अन्य योजनाओं पर डिवीजनल कमिश्नर के साथ बातचीत की।

महिला रोगी को सांत्वना देते हुए सदस्या यास्मीन अब्रार

- सदस्या निर्मला वेंकटेश मांडया जिले के छट्टनहल्ली में पत्थर की खदान में काम करने वाली एक महिला श्रमिक के बलात्कार और आत्महत्या के मामले की जांच करने गयीं। वह उस महिला के पति, माँ तथा अन्य रिश्तेदारों से मिलीं जिन्होंने उडिपी में एफ॰आई॰आर॰ लिखाने में उनसे सहायता करने का निवेदन किया। सदस्या ने मामले के बारे में एस॰पी॰ तथा डी॰सी॰ से बात की और राजस्व, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास तथा पुलिस विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की और पत्थर खदान मजदूरों के पुनर्वास के लिए विभिन्न उपायों का सुझाव दिया।

सदस्या निर्मला वेंकटेश उत्खनन श्रमिकों से बात करते हुए

आयोग में शिकायत समिति

"कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न" के संबंध में विशाखा तथा अन्य बनाम राजस्थान राज्य तथा अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय (ए॰आई॰आर॰ 1997 एस॰सी॰ 3011), जिसमें कार्यस्थल पर महिलाओं की शिकायतें दूर करने संबंधी मार्गनिर्देश दिए गये हैं, के अनुसरण में राष्ट्रीय महिला आयोग ने निम्नलिखित सदस्यों की एक शिकायत समिति गठित की है :

सुश्री गुरप्रीत कौर देव, उप सचिव, राष्ट्रीय महिला आयोग, समिति की अध्यक्ष; सुश्री रोमी शर्मा, अवर सचिव एवं जनसम्पर्क अधिकारी, राष्ट्रीय महिला आयोग, समिति की सदस्य; डा॰ सुश्री कोट्टाई पिल्ले, समिति की सदस्य; सुश्री मधु पाल, समिति की सदस्य।

नागालैंड विधान सभा द्वारा महिला आयोग विधेयक पारित

नागालैंड सरकार तीन मास के अंदर नागालैंड महिला आयोग गठित करेगी।

आयोग में पर्याप्त जानकारी तथा अनुभव रखने वाली एक अध्यक्षा तथा दो महिला सदस्य होंगी जिन्हें राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जायेगा।

सशस्त्र सेनाओं में महिलाओं को पुरुषों की बराबरी का दर्जा

सरकार ने निर्णय लिया है कि शॉर्ट सर्विस कमिशन की महिला अधिकारियों को ठीक वही श्रेणी तथा वेतन दिया जायेगा जो उनके साथ के पुरुष अधिकारियों का होता है। आगे से, महिलाओं को लेफ्टीनेंट के स्तर पर लिया जायेगा और स्वतः ही उनकी पदोन्नति दो वर्ष बाद कैप्टन के स्तर पर, छः वर्ष बाद मेजर के स्तर पर और 13 वर्ष बाद ले॰ कर्नल के स्तर पर की जायेगी।

चूंकि वेतन का संबंध श्रेणी है, इसलिए पदोन्नति के साथ वेतन की विषमता भी समाप्त हो जायेगी।

महत्वपूर्ण निर्णय

आरोपी पर हत्या करने और आत्महत्या उकसाने दोनों का मुकदमा चलाया जा सकता है : बम्बई उच्च न्यायालय

क्या दहेज संबंधित मृत्यु के मामले में अपनी पत्नी की हत्या के आरोपी व्यक्ति पर आत्महत्या उकसाने का आरोप भी लगाया जा सकता है? अपराध की नृशंसता की दृष्टि में बम्बई उच्च न्यायालय ने कहा है कि मुकदमा न्यायालय को दो स्पष्ट विरोधाभासी आरोप निर्धारित करने तथा पति या उसके परिवार को इन दोनों आरोपों पर अपनी सफाई देने को कहने का अधिकार है। दहेज मृत्युओं में जिनको साबित करना बहुधा कठिन होता है, पुलिस का लचीला रवैया देखते हुए, मुकदमा न्यायालय द्वारा आरोप तय किया जाना इस निर्णय का पहला कदम है कि आरोपी पर क्या मुकदमा चलाया जाये।

एफ॰आई॰आर॰ में हुए विलम्ब को बलात्कार का मामला समाप्त किए जाने के आधार के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता : उच्चतम न्यायालय

उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि बलात्कार पीड़ित द्वारा विलम्ब से दर्ज कराई गई एफ॰आई॰आर॰ को आरोपी को बरी कर देने का आधार नहीं बनाया जा सकता।

अदालतें यह तथ्य अनदेखा नहीं कर सकतीं कि यौन संबंधित अपराधों में एफ॰आई॰आर॰ दर्ज कराने में विलम्ब के कई कारण हो सकते हैं, विशेषकर पीड़िता या उसके परिवार जनों का पुलिस में जाने और घटना की शिकायत करने में संकोच करना क्योंकि इससे उनकी प्रतिष्ठा पर आंच आती है।

ऐसी परिस्थिति में, घटना के बारे में पीड़िता द्वारा किसी को सूचित न किए जाने से उसकी विश्वसनीयता कम नहीं हो जाती।

विवाह का वायदा कर नाबालिग के साथ संभोग करना बलात्कार है

संभोग के लिए 'सहमति' पर एक महत्वपूर्ण निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि जो लोग अबोध आयु की लड़कियों के साथ विवाह करने का झूठा वायदा करके उन्हें संभोग के लिए फुसला लेते हैं वे बलात्कार के दोषी हैं।

किंतु यदि साक्ष्य के आधार पर अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि न केवल आरोपी अपितु लड़की भी संभोग के लिए उतनी ही इच्छुक थी, तो इस अपराध को बलात्कार नहीं माना जा सकता।

शील भंग : अपराधिक मंशा आधार है

एक उल्लेखनीय निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति किसी महिला का शरीर अपराधिक मंशा से छूता है, तो महिला के शील भंग का मामला बनता है। किसी महिला का शील भंग, प्रहार अथवा बेईज्जती हुई है या नहीं, यह बात अंतिम रूप से निर्धारित करने की कसौटी यह है कि अपराधी का कृत्य ऐसा हो जिससे महिला की प्रतिष्ठा के भाव को ठेस पहुंचती हो।

लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर

माध्यमिक स्तर पर पहुंचने से पूर्व स्कूल छोड़ने वाली लड़कियों की सबसे अधिक संख्या बिहार में है, जिसके बाद पश्चिम बंगाल का नम्बर आता है।

बिहार में दसवीं कक्षा तक लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर 85.36 प्रतिशत है और आठवीं कक्षा तक 79.62 प्रतिशत।

पश्चिम बंगाल में, 84.44 प्रतिशत लड़कियां माध्यमिक स्तर पार करने से पूर्व स्कूल छोड़ देती हैं। परन्तु लड़के और लड़कियों दोनों के मामले में कक्षा दस तक स्कूल छोड़ देने की सर्वाधिक दर मेघालय में है।

अधिक जानकारी के लिए देखें हमारी वेबसाइट : **www.ncw.nic.in**

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4 - दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। आकांक्षा इम्प्रेशन, 18/36, गली नं. 5, रेलवे लाइन साईड, आनन्द पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-110005 में मुद्रित। सम्पादक : गौरी सेन